

18.11.19

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्त उपर।
अधिनियम न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हो गयी है
जो शां. जा. दि. गयी। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। प्रकरण तहसीलदार एवं अतिरुमण
निरोधक अधिकारी नगर विकास न्याय कोट द्वारा
प्रकरण सं. 100/18 धारा 92(ए) व 92(बी) राज. नगर
सुधार अधिनियम 1959 अन्तर्गत दि. 11.7.19 को निर्णय
पारित किया गया है। अपीलार्थी दावा उक्त अपीलान्त
निर्णय के विरुद्ध न्यायालय राजा में राज. अखन
इम्प्रीमेन्ट एक्ट 1955 सपॉजिट धारा 75 LRA Act में प्रश्नगत
अपील पेश की गई है। विधि अनुसार राजस्थान नगर
सुधार अधिनियम 1959 की धारा 92(ए) व 92(बी)
में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील के श्रवणाधिकार की
शक्तिया धारा 92-ए(12) के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश
को प्रदत्त होने से प्रश्नगत मूल अपील सहम न्यायालय

P. T. 0

Chetna
24/11/19
(1)

तारीख हुक्म

नम्बर
अहकाम
हुक्म की
जारी हुए

मे पेश कने हेउ अपीलार्थी को लोटायी जाती है
अपील नियमानुसार अपीलार्थी को लोटायी जावे।
पञ्चावली बाद तामील तञ्जील दाखिल दफ्तर हो।

(रु)

सभागाय आयुक्त
कोटा संभाग, राजस्थान